

UPKJ01-000438-2026
 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (दस्यु प्रभावित क्षेत्र)
 कक्ष संख्या-1, कन्नौज।
 पीठासीन अधिकारी- हरि प्रसाद, (उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा) -UP6489
जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-217/2026

1. मुन्नु उर्फ रामबाबू पुत्र जगदीश, निवासी-जसापुरवा थाना ठठिया, जनपद कन्नौज।

.....अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य

.....अभियोजन पक्ष।

परिवाद संख्या-149/2016

दुर्विजय प्रति मुन्नु आदि।

धारा- 395, 323, 506 IPC

थाना-ठठिया, जनपद कन्नौज।

जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण

1. आवेदक/अभियुक्त मुन्नु उर्फ रामबाबू की तरफ से जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. ऊपर वर्णित अभियोग में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसे उपरोक्त मुकदमा में वादी मुकदमा द्वारा झूठी मनगढ़ंत घटना बनाकर गलत फंसाया गया है। दिनांक 23.10.2016 को शाम 7 बजे वादी मुकदमा ने अपने साथियों उदयवीर, राजेन्द्र व राजू के साथ मिलकर काफी मारापीट था, जिसमें उसके शरीर पर काफी चोटें आई थी तथा उसके बाएं हाथ की हड्डी भी टूट गई थी, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना ठठिया में दर्ज करायी थी व मेडिकल कराया था। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई लूट जैसी वारदात नहीं की है, वह पूर्णतः निर्दोष है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।
3. परिवाद कथानक के अनुसार दिनांक 23.10.2016 को समय करीब 7-8 बजे रात को उसके गांव के पहले पुलिया के पास थाना ठठिया जिला कन्नौज में अभियुक्तगण मुन्नु, घनश्याम, ओमशरन, अजमेर, छुन्नु व संजू ने परिवादी दुर्विजय को लात घूसों से व कट्टा की वट से मारापीटा और उसके गले से सोने की जंजीर व 5,600/- रुपए नकद लूट लिए तथा उसे जान से मारने की धमकी दी।
4. मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा सहायक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की बहस सुनी तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।
5. अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा को उसके गांव के पहले पुलिया के पास थाना ठठिया जिला कन्नौज में लात घूसों से व कट्टा की वट से मारपीट करते हुए उसके गले से सोने की जंजीर व 5,600/- रुपए नकद लूट लिए गए तथा जाते समय जान से मारने की धमकी दी गई। जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया और जमानत निरस्त किये जाने की याचना की गई।
6. मामला परिवाद पर आधारित है। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा दौरान अंतरिम जमानत, जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है।
7. अतएव मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त मुन्नु उर्फ रामबाबू द्वारा उपरोक्त मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा 50,000/- (पचास हजार रुपये) की दो जमानतें तथा समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करें। अभियुक्त द्वारा इस आशय की अंडरटेकिंग भी दाखिल किया जाये कि-

अ- मामले के प्रत्येक सुनवाई पर वह स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा।

ब- अभियुक्त आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंकन के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर वे न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

स- साक्षीगण के उपस्थित आने पर कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

द- साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तों के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध विधिसम्मत आदेश पारित किया जा सकेगा।

दिनांक-09.03.2026

(हरि प्रसाद)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

2

(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), कक्ष संख्या-1 कन्नौज।
J.O.CODE-UP6489